Notice

From: - Gajendra Kumar Singh

A.O.R.NO. 4185

Mobile No 8084083771

Chamber No 156

PATNA HIGH COURT

Advocate for the petitioner

To

The Advocate General of Bihar

Re: CWJC.NO. ----------of 2015

Md Fariduddin........Petitioner

Versus

The State of Bihar

Sir,

Please take a notice that an application is going to be filed and copy of which is served upon you for your perusal please acknowledge the receipt.

Yours

Gajendra Kumar Singh

Advocate

AOR no. 04185

17-7-15

Received Notice/ a copy

Petition A.A.Y.........

Shri Ashok Priyadarshi

Will appear on behalf of the State

B2 17.7.15

Section Officer/Receiving in-charge

Advocate General Office

Patna High Court, Patna

18001

4

G.A.4
17.7.15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ________ of 2015

Md. Fariduddin ....Petitioner

Versus

The State of Bihar & others ....Respondents

Sub:- Board (other than service)

INDEX

Sl.No.	Particulars	Page No.
1.	Application under Article 226 of the Constitution of India with Affidavit.	1 to 11
2. Annexure-1 and 2	Photo/Typecopy of appointment and joining letter of the petitioner.	12-13
3. Annexure-3	Photo/Type copy of order dated 17.1.2015.	14
4. Annexure-4	Photo/Type copy of report.	15-27
5. Annexure-5	Photo copy of order dated 3.7.2015.	28
6. Vakalatnama		

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ________ of 2015

Md. Fariduddin ....Petitioner

Versus

The State of Bihar & others ....Respondents

SYNOPSIS

This writ application is being filed for quashing of the order dated 3.7.2015 and for a direction to the respondent no. 3 to allow the petitioner to function as a convenor of the Adhoc Managing Committee of Narayann Veena Jhalari Woman College, Udakisunganj, Madhepura.

Date and Events

25.05.1991	:	The petitioner was appointed on the post of Lecturer in the aforesaid college by the Managing Committee.
25.05.1991	:	The petitioner reported his joining on the post of Lecturer.

17.01.2015	:	The petitioner was appointed a convenor of the Adhoc Managing Committee of the aforesaid college.
03.07.2015	:	The respondent no. 3 appointed the respondent no. 5 as convenor of the Adhoc Managing Committee of the college.
08.07.2015	:	The petitioner collected documents sworn an affidavit and submitted his report to the respondent no. 3.

Since the petitioner is still functioning as the convenor of the Adhoc Managing Committee of the College, but without annulling his appointment the respondent no. 5 has been appointed. Hence, this writ application is being filed.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ________ of 2015

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of

Md. Fariduddin S/o Late Md. Suleman, resident of Village-Bishanpur Arar, P.S.-Gwalpara, District-Madhepura.

....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar
2. The District Magistrate cum Collector Madhepura
3. The Bihar School Examination Board (Senior Secondary) Budh Marg, Patna through the Chairman.

3. The Secretary, Bihar School Examination Board (Senior Secondary), Budh Marg, Patna.

4. The District Education Officer, Madhepura, District-Madhepura.

5. Prof. (Dr.) Krishnadeo Narayan Thakur S/o Not Known, resident of Ward No. 04, College Chowk, Madhepura, District-Madhepura.

~~6. The District Magistrate cum Collector, Madhepura~~

....Respondents

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the above named petitioner;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this writ application is being filed for the following reliefs:-

(a) For a direction to the respondents to allow the petitioner to continue as a convenor for constitution of Adhoc Managing Committee of Narayan Veena Jhalari Woman College, Udakisunganj, Madhepura on the basis of the order contained in Memo No. 7144/D-15 dated 17.1.2015.

(b) For ~~cancellation~~ quashing of the order contained in letter No. 7626/D-15 dated 3.7.2015 by which respondent no. 5 has been appointed convenor of the Adhoc Managing Committee of Narayan Veena Jhalari Woman College, Udakisunganj, Madhepura though the order of appointing the petitioner of convenor of the said committee is still is force and has not been annual.

(c) Any other relief or reliefs.

2. That the question of law involved in this case for decision by this Hon'ble Court are as follows:-

(I). Whether the petitioner is entitle to continue as the convenor of the Adhoc Managing Committee of Narayan Veena Jhalari Woman College, Udakisunganj, Madhepura on the basis of the order contained in Memo No. 7144/D-15 dated 17.1.15.

(II) Whether the respondent no. 3 has got power of appoint the respondent no. 5 as a convenor of the Adhoc Managing Committee of Narayan Veena Jhalari Woman College, Udakisunganj, Madhepura when the order appointing the petitioner as a convenor of the said managing committed is still is force ?

(III) Whether the order issued under letter no. 7626/D-15 dated 3.7.2015 is fit to be quashed since the same has been issued when the order issued under memo No. 7144/D-15 dated 17.1.2015 is alive and the petitioner has

not been given opportunity to show-cause and hearing ?

(IV) Whether the respondent no. 3 has acted in violation the Natural Justice ?

3. That the petitioner is a citizen of India and resides within the jurisdiction of this Hon'ble Court and prays for the aforesaid reliefs.

4. That the petitioner was appointed on 25.5.1991 by the Managing Committee of Narayan Veena Jhalari Woman College, R.K. Nagar, Udakisunganj, Madhepura (herein after referred to as college) on the basis of the Advertisement No. 30120 dated 12.5.1991 on the post of Lecturer in the College. The petitioner reported his joining to the Principal of the College on 25.5.1991.

Photo/Type copy of appointment and joining letter of the petitioner are annexed herewith and marked as

Annexure-1 and 2 to this writ application.

5. That the petitioner has been working on the post of Lecturer in the College. At present he is Principal of the College. By the order of the respondent no. 3 he has been appointed convenor of the Adhoc Managing Committee of the College vide order contained in Memo No. 7144/D-15 dated 17.1.2015.

Photo/Type copy of order dated 17.1.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ application.

6. That as per the order contained in annexure-3 the petitioner convened a Aam Sabha meeting on 15.2.2015 and the members of Adhoc Committee were selected. The petitioner collected all the relevant documents and papers relating to the previous Managing Committee of the College. He

has prepared a report and has sworn an affidavit in this regard and submitted the report about constitution of the Adhoc Managing Committee of the College to the respondent no. 3.

Photo/Type copy of report is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this writ application.

7. That by order dated 3.7.2015 the respondent no. 3 has appointed the respondent no. 5 as convenor of the Adhoc Managing Committee of the College. On the basis of the said letter he is claiming otherwise and is ready to constitute a separate Adhoc managing Committee Pareller to the Adhoc Managing Committed constituted by the petitioner.

Photo copy of order dated 3.7.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ application.

8. That it is stated that the petitioner has not been removed from the post of convenor of the Adhoc Managing Committee of the College by any order passed by the respondent no. 3 but the respondent no. 5 has claimed to be appointed as convenor of the Adhoc Managing Committee of the College.
9. That the petitioner was not given any notice of show-cause or of his removal from the post of convenor as aforesaid, so the appointment of respondent no. 5 on the post of convenor is illegal, void and fit to be quashed.
10. That it is submitted that the respondent no. 3 has acted in violation of the Natural Justice while passing the order contained in Annexure-5.
11. That the order contained in annexure-5 is illegal, void without jurisdiction and fit to be quashed.
12. That the petitioner has got no other alternative, efficacious and expedient remedy other than by way of this writ application.

13. That the petitioner has never moved before this Hon'ble Court earlier in this case for the aforesaid relief.

It is, therefore, prayed that your Lordships may be pleased to admit this petition, issue rule NISI, calling upon the respondents to show-cause as to why not a writ order or direction be issued to them to ~~cancel~~ quashing the order contained in Annexure-5 by which respondent No-5 has been appointed convenor of the Adhoc Managing Committee of the College and further not to take any coercive steps against the functioning of the petitioner as convenor of the Adhoc

Managing Committee of the College and on cause, if any, shown by them and after hearing the parties make the rule absolute in the aforesaid terms or pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Md. Fariduddin, aged about 53 years, S/o Late Md. Suleman, resident of Village-Bishanpur Arar, P.S.-Gwalpara, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am fully acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That I have gone through the contents of this petition and fully understood the same.

3. That the statements made in paragraph no. 3 to 6, 8, 9, 12 and 13 are true to my knowledge, those made in paragraph no. 7 are true to my informations derived from the records of the case which I believe those to be true.

4. That the annexures are photo copies of their respective originals.

Md Fariduddin

12

Annexure-1

नारायण-वीणा झलाड़ी
महिला महाविद्यालय

आर० के० नगर उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

नियुक्ति पत्र

विज्ञापन संख्या 30/20

दिनांक 12.5.91 के क्रम में प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक संख्या 04 के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 25.5.91 के निर्णयानुसार आपकी नियुक्ति अस्थायी, उर्दू विभाग को, दिनांक 08.08.1990 के प्रभाव से व्याख्याता के पद पर स्थायी रूप से दिनांक 25.5.91 से की जाती है।

सेवा में —

श्री/श्रीमती प्रो० फरीद उद्दीन

ग्राम [illegible]

पो० सिंघेश्वर आरा12

जिला मधेपुरा

सचिव

सचिव
एन० वी० जे० महिला कॉलेज
आर०के०नगर उदाकिशुनगंज, मधेपुरा

12

ANNEXURE-1 **'Type Copy'**

नारायण–वीणा झलाड़ी
महिला महाविद्यालय
आर0के0 नगर उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

नियुक्ति पत्र

विज्ञापन संख्या–30120, दिनांक–12.5.91 के क्रम में प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक संख्या–04 के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 25.5.91 के निर्णयानुसार आपकी नियुक्ति अध्यक्ष, उर्दू विभाग को दिनांक 08.08.1990 के प्रभाव से व्याख्याता के पद पर स्थायी रूप से दिनांक 25.5.91 से की जाती है।

सेवा में,

श्री/श्रीमति मो0 फरीद उद्दीन
ग्राम–विशनपुर अरार
पो0–किशनपुर अरार
जिला–मधेपुरा।

ह0/–अस्पष्ट
सचिव

Annexure-2

13

सेवा में
प्राचार्य महोदय,
एन. बी. जे. महिला कॉलेज आर. के. नगर उदाकिशुनगंज
मधेपुरा.

विषय- स्थाई रूप से उर्दू विभाग में व्याख्याता के रूप में योगदान स्वीकार करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि विज्ञापन संख्या 30/20 दिनांक 12.5.91 के आलोक में मुझे दिनांक 08/08/1990 के प्रभाव से स्थायी रूप से व्याख्याता उर्दू विभाग नियुक्त किया गया है। अतः निवेदन है कि कृपया मेरा योगदान स्वीकार करने की कृपा की जाय।

Joining accepted
1991

प्राचार्य
एन० बी० जे० महिला महाविद्यालय
आर० के० नगर उदाकिशुनगंज
(मधेपुरा)

विश्वासभाजन

मो० फरीद अहमद
ग्राम- बिशनपुर-अरार
पो०- बिशनपुर अरार
जिला- मधेपुरा।

25.5.1991

13

ANNEXURE-2 **'Type Copy'**

सेवा में,

प्राचार्य महोदय,

एन.वी.जे. महिला कॉलेज आर.के. नगर उदाकिशुनगंज

मधेपुरा।

विषय:– स्थाई रूप से उर्दू विभाग में व्याख्याता के पद पर योगदान स्वीकार करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि विज्ञापन संख्या 30120 दिनांक 12.5.91 के आलोक में मुझे दिनांक 08.08.1990 के प्रभाव से स्थायी रूप से व्याख्याता उर्दू विभाग नियुक्त किया गया है।

अतः निवेदन है कि कृपया मेरा योगदान स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

25.5.1991

मो0 फरीद उद्दीन

ग्राम–विशनपुर अरार

पो0–विशनपुर अरार

जिला–मधेपुरा।

Annexure-3 14

पत्रांक : BSEB(SS)/Coll-Estab/----------------/D-15

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना

प्रेषक,

श्रीनिवास चन्द्र तिवारी
सचिव

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
बी0 एन0 एम0 भी0 कॉलेज, साहुगढ़
मधेपुरा ।

पटना, दिनांक : ..../2015

विषय : तदर्थ समिति गठित कर साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक **नारायण वीणा झलारी महिला महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा** में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–50/2013 एवं 55/2013 के आलोक में संशोधित विनियमावली–2013 के विनियम–17 (ख) में निहित प्रावधान के तहत तदर्थ प्रबंध समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है । जिसमें समिति की ओर से आपको संयोजक के रूप में नामित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि संशोधित विनियमावली–2013 के अध्याय–V(क) के विनियम–17(ख) के आलोक में तदर्थ प्रबंध समिति का गठन कर साक्ष्यों के साथ समिति कार्यालय में यथा शीघ्र प्राप्त करायी जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके ।

विश्वासभाजन

सचिव

ज्ञापांक : BSEB(SS)/Coll-Estab/7164/D-15 पटना, दिनांक : 12/11/15
प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य / प्राचार्या, नारायण वीणा झलारी महिला महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित तथा आदेश दिया जाता है कि तदर्थ प्रबंध समिति के गठन हेतु सभी अभिलेखों के साथ आप विभाग समिति द्वारा नामित संयोजक से संपर्क करेंगे ।

सचिव

Annexure-4 15 (1)

WELFARE STAMP Rs.5 BIHAR
बिहार BIHAR
पाँच रुपये RUPEES FIVE

भारत 00000 बिहार JUDICIAL
INDIA Rs.0000100 -8.7.2015 375321 BIHAR
Zero*Zero*Zero*Zero*OneZero*Zero***
3559 7E23204

नोटरी पब्लिक,
उदाकिशुनगंज ।

शपथ-पत्र
======

0.1266

मैं, हाजी मो0 फरीद उद्दीन पिता- मरहूम मो0 सुलेमान, उम्र-55वर्ष लगभग, प्राचार्य एन. बी. जे. महिला कॉलेज आर. के. नगर, उदाकिशुनगंज , जिला-मधेपुरा सत्य वो निष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. कि, मैं ग्राम-अरार पो0-विष्नुपुर अरार, थाना-ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा का निवासी हूँ ।

2. यह कि, मैं एन. बी. जे. महिला कॉलेज, आर. के नगर, उदाकिशुनगंज , जिला-मधेपुरा में स्थापना काल से कार्यरत हूँ ।

3. यह कि, बंद पड़े एन. बी. जे. महिला कॉलेज के जीर्णोद्धार एवं सम्बन्धन के कार्य में मैं सदैव क्रियाशील रहा हूँ ।

4. यह कि, एन. बी. जे. महिला कॉलेज , उदाकिशुनगंज में के तदर्थ समिति जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 30 पा0-पटना द्वारा दी गई सभी सूचनायें सत्य वो सही है ।

5. यह कि, दस्तावेज में हेरा-फेरी कर तदर्थ समिति को पुनः विघटित कर निकट सम्बन्धी एवं स्वजातीय द्वारा महावि0 को बंद करने की साजिश की गई है इसलिए अभ्यावेदन के साथ मैं शपथ-पत्र मूल एवं छायाप्रति के साथ समर्पित कर रहा हूँ ।

6. यह कि, यह शपथ-पत्र बिना किसी दबाव या फसलाव या कर्मचारियों के दबाव के महाविद्यालय एवं छात्रहीत में मैं दाखिल कर रहा हूँ ताकि भविष्य में यह सत्यापन या न्याया0 में दाखिल किया जा सके ।

हाजी मो0 फरीद उद्दीन
शपथकर्त्ता

Name....Haji Md Fariduddin....
Who is Identfied....S.K. Yadav Adv....
...mnly affiemed..........

The deponent was identified before me

दाता

SM 08.07

08/07/2015

अधिवक्ता

...AN KUMAR NOTARY BIHAR (INDIA) ...nganj Madhepura

16

(2)

भूपेन्द्र नारायण मंडल वाणिज्य महाविद्यालय

(भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई)
साहुगढ़ मधेपुरा (बिहार)

पत्रांक PR|Camp-001|15 दिनांक 15.02.2015

प्रेषक,

डॉ0 हीराकान्त मंडल,
प्रधानाचार्य,
वी.एन.एभी.कॉलेज, साहूगढ़, मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार वि0 प0 स0(उ0 मा0) बुद्ध मार्ग पटना।

विषय:- तदर्थ समिति गठित कर साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग– भवदीय ज्ञापांक BSEB(SS) Coll-Estab-7144/D-15,दिनांक 17.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में नारायण वीणा झलाड़ी महिला महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति सं.–50/2013 एवं 55/2013 के आलोक में संशोधित विनियमावली–2013 के विनियम 17(ख) में निहित प्रावधान के तहत तदर्थ प्रबंध समिति गठन करने हेतू प्रदत्त संयोजक के रूप में शक्ति का उपयोग करते हूए प्रतिवेदित करना है कि एन0 बी0जे0 महिला कॉलेज, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा की स्थापना जनहित में आम सभा द्वारा जनसहयोग से किया गया है। जैसा कि महाविद्यालय के कर्मचारियों से सूचना प्राप्त हूई है कि बिहार इन्टर मेडिएट शिक्षा परिषद,पटना (निरसीत), बिहार वि0 प0 स0 (उ0 मा0) पटना द्वारा किसी भी दावेदार/दानदाताओं की अधिसूचना/घोषणा विहित प्रकियाओं के अधीन विधिवत् अंकेक्षण करवाकर या दाता सूची घोषित करवाकर अथवा दाताओं द्वारा निर्वाचन उपरान्त दाता सदस्य की घोषणा/अधिसूचना नहीं हूई है, इसीलिए किसी भी पक्ष को वैधानिक रूप से अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे पूर्व से नियुक्त प्राचार्य/व्याख्याता/कर्मचारी को पदमुक्त कर नये व्यक्ति को प्राचार्य के रूप मे नामित करे।

स्थापना काल में कार्यरत प्रभारी प्राचार्य चन्द्रकिशोर राय को एक सरकारी उच्च वि0 में कार्यरत रहने के फलस्वरूप उक्त एन.बी. जे. महिला महाविद्यालय से वि.इ0शि. परिषद, पटना द्वारा पदमुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् श्री जय जय राम प्र. यादव जो एम.एम.भी. कॉलेज, ग्वालपाड़ा में हिन्दी विभाग में वरीय शिक्षक थे को प्रधानाचार्य के रूप में सचिव श्री राधाकान्त चौधरी द्वारा नियुक्त किया गया।

17 (3)

एम.एम. भी. कॉलेज, ग्वालपाड़ा द्वारा श्री जयजय राम यादव को बढ़ते कार्यभार के फलस्वरूप वापस आना पड़ा तथा श्री यादव द्वारा मो0 फरीद उद्दीन को प्रधानाचार्य का प्रभार सचिव के आदेश से प्राप्त हुआ जो अद्यतन कार्यरत है।

बिहार ई0 शिक्षा परिषद्, पटना (निरसीत) द्वारा एन.बी.जे. महिला कॉलेज ,उदाकिशुनगंज को शर्तों की प्रतिपूर्ति नहीं करने तथा सुरक्षित निधि उपलब्ध नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया था।

पुनः आम सभा द्वारा नये प्रबंध समिति का गठन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से श्रीमति सुनिता झा को सचिव चयनित किया गया एवं उनके द्वारा प्रदत्त 75000(पचहत्तर हजार रूपये) सुरक्षित निधि, भवन, पुस्तकालय तथा निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर महाविद्यालय को अनुसंशित कोटि में चिन्हित करवाया गया।

वर्त्तमान में महाविद्यालय को विवाद मुक्त रखने हेतू पूर्व के सभी कमिटि भंग है तथा तदर्थ प्रबंध समिति गठित कर प्रतिवेदित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

15/2/2015

प्राचार्य

सह

संयोजक

15/2/2015

एन0 ... कॉलेज
...गंज (मधेपुरा)

18 (4)

भूपेन्द्र नारायण मंडल वाणिज्य महाविद्यालय

(भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई)

साहुगढ़ मधेपुरा (बिहार)

पत्रांक PR/Gmp-001/15 दिनांक 15.02.2015

सेवा मे,

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(उ0मा0)

पटना।

विषयः– तदर्थ समिति गठित कर साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

एन0बी0जे0 महिला कॉलेज, आर. के. नगर उदाकिशुनगंज में तदर्थ समिति निम्नवत गठित किया जाता है।

1. डॉ0 हीराकान्त मंडल – 15.2.15 संयोजक
   प्राचार्य,
   बी0एन0एम0भी0 कॉलेज, साहुगढ़ मधेपुरा।

संयोजक एन0 बी0 जे0 महिला कॉलेज आर0 के0 नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

2. मो0 फरीद उद्दीन – मो0 फरीदउद्दीन सदस्य सचिव
   प्राचार्य

3. श्रीमति कुमारी प्रमिला – कुमारी प्रमिला सदस्य

एन0 बी0 जे0 महिला आर0 के0 नगर, उदाकिशुनगंज

4. श्री श्यामल किशोर यादव– Shyamal Kishore Yadav सदस्य

5. श्री राज किशोर मेहता– राजकिशोर मेहता सदस्य

6. श्री चन्दकिशोर प्रसाद सिंह– चन्द्रकिशोर सिंह सदस्य

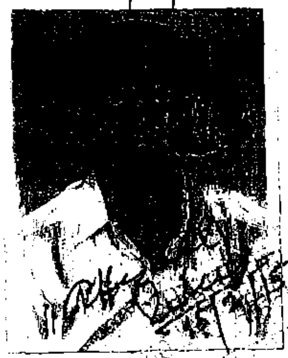

7. श्री खगेन्द्र प्रसाद सिंह– खगेन्द्र प्रसाद सिंह सदस्य

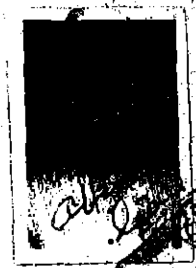

तदर्थ समिति का गठन विज्ञप्ति सं0– 50 / 2013 एवं 55 / 2013 संशोधित नियमावली 2013 के निहित प्रावधान तहत की गई है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

प्रधानाचार्य / संयोजक

एन0 बी0 जे0 महिला कॉलेज

आर0 के0 सदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

15/2/2015

20 (6)

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कुल 142 पृष्ठ हैं तथा यह पंजी तदर्थ प्रबंध समिति गठन हेतु शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं अभिभावक प्रतिनिधि मनोनयन हेतु आवेदित किया जाता है।

15/2/2015

संयोजक
एन0 बी0 जे0 महिला कॉलेज
आर0 के0 नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

15/2/2015

20

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कुल 142 पृष्ठ है तथा यह पंजी तदर्थ प्रबंध समिति गठन हेतु शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं अभिभावक प्रतिनिधि मनोनयन हेतु आवंटित किया जाता है।

ह0/–अस्पष्ट

15.2.2015

संयोजक

एन.बी.जे. महिला कॉलेज

आर.के. नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

1

बैठक सं० - 01

दिनांक - 15/02/2015
रोज - रविवार
समय - अपराह्न 3.30 बजे
स्थान - एन. बी. जे. महिला कॉलेज, आर. के. नगर, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के शिक्षक प्रकोष्ठ।

आज दिनांक 15 फरवरी 2015 रोज रविवार को अपराह्न 3.30 बजे शिक्षक प्रकोष्ठ में तदर्थ प्रबन्ध समिति के गठन हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामित संयोजक प्राचार्य डा० हीराकान्त मंडल, बी० एन० एम० भी० कॉलेज साहुगढ़ मधेपुरा के संयोजकत्व में आरंभ हुई। बैठक में निम्न हस्ताक्षरित शिक्षकगण उपस्थित हुए।

[signature] 15/2/2015
संयोजक

संयोजक
एन० बी० जे० महिला कॉलेज
आर० के० नगर उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षर -

1. मो० फरीद अहमद 15/2/15
2. रवीन्द्र प्रसाद सिंह
3. उदय कुमार सिंह
4. Shyamal Kishore Yadav
5. कुमारी प्रमिला
6. Panna lal Jaiswal -
7. नन्द किशोर सिंह
8. भुनेश्वर मंडल
9. सच्चिदानन्द ठाकुर
10. ब्रह्मानन्द राय
11. Baikunth Prasad Ray 15/2/15
12. अशोक यादव
13. संगीता कुमारी
14. मंजु सिंह

बैठक सं0–01

दिनांक 15.02.2015

रोज–रविवार

समय–अपराहन 3.30 बजे

स्थान–एन.बी.जे. महिला कॉलेज, आर.के.

नगर, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के शिक्षक प्रकोष्ट।

आज दिनांक 8 फरवरी 2015 रोज रविवार को अपराहन 3.30 बजे शिक्षक प्रकोष्ट में तदर्थ प्रबंध समिति के गठन हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामित संयोजक प्राचार्य डा0 हीराकान्त मंडल, बी.एन.एम.भी. कॉलेज साइगढ़ मधेपुरा के संयोकत्व में आरंभ हुई। बैठक में निम्न हस्ताक्षरित शिक्षकगण उपस्थित हुए।

ह0/–अस्पष्ट

15.2.2015

संयोजक

एन.बी.जे. महिला कॉलेज

आर.के. नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षरः–

1. मो0 फरीद उद्दीन
2. खगेन्द्र प्रसाद सिंह
3. उदय कुमार सिंह
4. श्याम किशोर यादव
5. कुमारी प्रमिला
6. पन्ना लाल जायसवाल
7. चन्द्र किशोर सिंह
8. मुनेश्वर मंडल
9. सदानन्द ठाकुर
10. सुधानन्द राय
11. बैकुण्ठ प्रसाद राय
12. अशोक यादव
13. संगीता कुमारी
14. मंजु सिंह

2 22 (7)

15. मनोज कुमार सिंह
16. अशोक कुमार सिंह

सर्वप्रथम प्रधानाचार्य मो० फरीदउद्दीन द्वारा संयोजक एवं विज्ञान प्रधानाचार्य, पूर्व कुलानुशासक भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए स्वागत किया गया। उपस्थित सभी शिक्षकों ने भी करतल ध्वनि एवं माला तथा पुष्प-गुच्छ से डा० हीरा कान्त मंडल जी का स्वागत किया।

अपने उद्गार भाषण में संयोजक महोदय ने बताया कि बिहार विद्यालय

22

15. सनोज कुमार सिंह

16. अशोक कुमार यादव

सर्व प्रथम प्रधानाचार्य मो0 फरीद उद्दीन द्वारा संयोजक एवं विद्वान प्रधानाचार्य पूर्व कुलानुशासक भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कृतित्य एवं व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए स्वागत किया गया। उपस्थित सभी शिक्षकों ने भी करतल ध्वनि एवं माला तथा पुष्पगुच्छ से डा0 हीरा कान्त मंडल जी का स्वागत किया।

अपने उद्गार भाषण में संयोजक महोदय ने बताया कि बिहार विद्यालय

8

23

परीक्षा समिति (उ० मा०) से संशोधित विनिया
मावली 2013 के अध्याय V (क) के
विनियमावली 14 (ख) के आलोक में
एन. बी० जी महिला कॉलेज, आर.के. नगर,
उदाकिशुनगंज, जिला - मधेपुरा में तदर्थ
प्रबन्ध समिति के गठन हेतु शिक्षक
प्रतिनिधि एवं शिक्षकेत्तर प्रतिनिधि के
साथ अभिभावक प्रतिनिधि का चयन
किया जाना है। शिक्षक प्रतिनिधि की
बैठक के बाद आज ही शिक्षकेत्तर
कर्मचारी प्रतिनिधि का चयन सर्व-
सम्मति से किया जाना है। अभिभावक
प्रतिनिधि का चयन, नामांकन पंजी एवं
अन्य अभिलेखों से सूचीपयत्र
करके दिनांक 06/02/2015 को प्रधाना-
चार्य, नामांकन प्रभारी, शिक्षक प्रतिनि
एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी करेंगे तथा
अभिभावकों से सहमति प्राप्त उपरा
अपना स्वच्छ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्ष
भी विहित प्रपत्र पर प्राप्त कर लेंगे
ताकि उसे यथाशीघ्र विद्या वि० प०
से० उ० मा०, पटना को आवश्यक
कार्यवाही हेतु भेजा जा सके। सर्व
सम्मति से करतल ध्वनि के साथ संयो
डॉ० हीराकान्त मंडल जी के प्रस्ताव
स्वागत किया गया तथा विधिवत
बैठक प्रारंभ किया गया —

प्रस्ताव संख्या - 01

शिक्षक प्रतिनिधि के चयन पर
विचार - संयोजक महोदय द्वारा विस्ता

परीक्षा समिति (उ0मा0) संशोधित विनियामावली 2013 के अध्याय–V (क) के विनियामावली 17 (ख) के आलोक में एन.बी.जे. महिला कॉलेज, आर.के. नगर उदाकिशुनगंज, जिला–मधेपुरा में तदर्थ प्रबंध समिति के गठन हेतु शिक्षक प्रतिनिधि एवं शिक्षकेत्तर प्रतिनिधि के साथ अभिभावक प्रतिनिधि का चयन किया जाना है। शिक्षक प्रतिनिधि की बैठक के बाद आज ही शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि का चयन सर्वसम्मति से किया जाना है। अभिभावक प्रतिनिधि का चयन नामांकन पंजी एवं अन्य अभिलेखों से जाँचोपरान्त कल्ह दिनांक 06.02.2015 को प्रधानाचार्य नामांकन प्रभारी शिक्षक प्रतिनिधि एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी करेंगे तथा अभिभावकों से सहमति प्राप्ति उपरान्त अपना स्वच्छ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर भी विहित प्रपत्र पर प्राप्त कर लेंगे ताकि उसे यथाशीघ्र बिहार वि0प0स0उ0मा0, पटना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा सके। सर्वसम्मति से करतल ध्वनि के साथ संयोजक डा0 हीराकान्त मंडल जी के प्रस्ताव स्वागत किया गया तथा विधिवत बैठक प्रारंभ किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–01</u>

शिक्षक प्रतिनिधि के चयन पर विचार–संयोजक महोदय द्वारा विस्तार

4 (34)

24

से की गई चर्चा पर उपस्थित सभी शिक्षकों ने आपस में गहन विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से पुरुष वर्ग से श्री श्यामसुन्दर किशोर यादव, व्याख्याता, अंग्रेजी विभाग एवं महिला कोटि से कुमारी निलिमा व्याख्याता, हेतु वि० विभाग का चयन किया जाता है। यह चयन शिक्षक प्रतिनिधि के लिए किया जाता है।

15/4/2015
संयोजक
संयोजक
एम० बी० जे० महिला कॉलेज
आर० के० नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

क्रमश:

प्रस्ताव संख्या – 02

शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि के चयन पर विचार –

उपस्थित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हस्ताक्षर –

1) त्रिलोचन देव	16 पवन पोद्दार
2) रघुनन्दन यादव	17 काजल कुमारी
3) अशोक कुमार झा	18 नवीन कुमार
4) श्रीकान्त सुमन	19 ~~मो० सदफ उद्दीन~~
5) राजकिशोर मेहता	20 मो० नसीम उद्दीन
6) भगवान कुमार	21 विजेन्द्र मेहता
7) सुशील कुमार मिश्रा	22 राजा बाबू
8) किरण देवी	23 Avinash Kumar
9) अरुण मेहता	24 Ramesh Kumar
10) इन्दु देव ठाकुर	25 राजेश कुमार सिंह
11) बेचनी देवी	26 कुमारी सोनी झा
12) सरिता कुमारी	27 मुन्नी मंडल
13) मुकेश कुमार	28 रिपू मिश्रा
14) मो० [illegible]	29 राजा बाबू
15 अनीता रानी	30

से की गई चर्चा पर उपस्थित सभी शिक्षकों ने आपस में गहन विचार–विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से पुरूष वर्ग से श्री श्यामल किशोर यादव, व्याख्याता, अंग्रेजी विभाग एवं महिला कोटि से कु0 प्रमिला व्याख्याता, गृह वि0 विभाग का चयन किया जाता है। यह चयन शिक्षक प्रतिनिधि के लिए किया जाता है।

ह0/–अस्पष्ट
15.2.2015
संयोजक
एन.बी.जे. महिला कॉलेज
आर.के. नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

क्रमशः

प्रस्ताव संख्या–02

शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि के चयन पर विचारः–

उपस्थित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हस्ताक्षरः–

1. रामलोचन राय
2. रघुनन्दन यादव
3. अशोक कुमार झा
4. श्रीकान्त सुमन
5. राजकिशोर मेहता
6. भगवान कुमार
7. सुशील कुमार मिश्रा
8. किरण देवी
9. मदन महतो
10. इन्द्रदेव ठाकुर
11. बेचनी देवी
12. सरिता कुमारी
13. मुकेश कुमार
14. रीता जायसवाल
15. संगीता रानी
16. पवन मेहतर
17. काजल कुमारी
18. नवीन कुमार
19. मो0 वदीम उद्दीन
20. मो0 नसीम उद्दीन
21. बिजेन्द्र मेहता
22. राजाबाबू
23. अनिष कुमार
24. रमेश कुमार
25. राजेश कुमार सिंह
26. कुमारी सोनी झा
27. बिनो मंडल
28. टिपू मिश्रा
29. राजा बाबू

25

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच सर्वसम्मति से विचारोपरान्त राज किशोर मेहता कार्यालय सहायक का चयन सर्वसम्मति से उपस्थित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के द्वारा किया गया।

प्रस्ताव संख्या - 03 - महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के दो अभिभावक (एक पुरुष एवं महिला) के चयन प्रक्रिया पर विचार -

उस सम्बन्ध में संयोजक महोदय ने कहा कि पूर्व में पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। पुनश्च प्राचार्य प्रो० फरीद उद्दीन को निवेदित किया गया कि वर्तमान सत्र 2015-16 अर्थात XI वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र एवं छात्रा जो माध्यमिक कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों, उनका चयन कर उनके अभिभावक का नाम संग्रह कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि तदर्थ प्रबन्ध समिति के गठन हेतु उनके नाम को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ० मा०) बुद्ध मार्ग पटना को भेजी जा सके।

अन्त में, संयोजक महोदय द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन, शैक्षिक गुणवत्ता के साथ-साथ आपसी सौहार्द्र एवं विवादमुक्त महाविद्यालय संचालन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ० मा०) पटना एवं संयोजक को सहयोग करने की अपील की गई एवं महाविद्यालय के सम्पन्न अभिलेखों की तीन प्रतियों

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच संबंध विचारोपरान्त राज किशोर मेहता कार्यालय सहायक का चयन सर्वसम्मति से उपस्थित शिक्षकेत्तर कर्मचारियेां के द्वारा किया गया।

प्रस्ताव संख्या–0 3–महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के दो अभिभावक (एक पुरूष एवं महिला) के चयन पर विचार पर विचारः–

इस संबंध में संयोजक महोदय ने कहा कि पूर्व में पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है। पुनश्च प्राचार्य मो0 फरीद उद्दीन को निदेशित किया गया कि वर्तमान सत्र 2014–16 अर्थात XI की कक्षा में अध्ययनरत छात्र एवं छात्रा जो माध्यमिक कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हो, उनका चयन कर उनके अभिभावक का नाम संग्रह कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि तदर्थ प्रबंध समिति के गठन हेतु उनके नाम को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0) बुद्ध मार्ग पटना को भेजी जा सके।

अन्त में संयाजक महोदय द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन, शैक्षिक गणवत्ता के साथ–साथ आपसी सौहार्द एव विवादयक महाविद्यालय से चालन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0) पटना एवं संयोजक की सहयोग करने की अपील की गई एवं महाविद्यालय के समस्त अभिलेखों की तीन प्रतियों

6

26 (9)

में छायाप्रति (जो बैठक के समक्ष अव-लोकन किया गया) समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि उसे सत्यापित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

15/2/2015

प्राचार्य

एन0 बी0 जे0 महिला कॉलेज

आर0 के0 नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

15/2/2015

26

में छायाप्रति (जो बैठक केसमय अवलोकन किया गया) समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि उसे सत्यापित कर अग्रेतर कारवाई की जा सके।

ह0/–अस्पष्ट

15.2.2015

संयोजक

एन.बी.जे. महिला कॉलेज

आर.के. नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

एन बी० जे० महिला महाविद्यालय

आर० के० नगर, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

(बि० ई० शि० प०, पटना से प्रस्वीकृत इन्टर महाविद्यालय)

पत्रांक................................ दिनांक..............................

प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्य

सेवा में,

अतः अनुरोध है कि संलग्न पत्र के आधार पर वस्तु स्थिति की जानकारी देने की कृपा की जाय कि क्या वर्तमान संयोजक श्री हीराकान्त मंडल अपने पद से त्याग पत्र दे दिये है अथवा पद पर रहने में असहमति व्यक्त किये है या कुछ व्यक्तियों द्वारा महाविद्यालय पर कब्जा करने के उद्धेश्य से अथवा कार्यरत प्राचार्य एंव शिक्षकेत्तर शिक्षक एंव कर्मचारियों को पद मुक्त कर महाविद्यालय को बंद कर भूमि भवन पर स्वामित्व स्थापित करना चाहते है एंव अवैध कब्जा करना चाहते है स्मरणीय हो कि एतद संबंधी वाद स्थानीय न्यायालय में कुछ लोगों के विरूद्ध मामला लम्बित है तथा माननीय न्यायालय द्वारा इस पर संज्ञान भी लिया जा चुका है ऐसी परिस्थिति में संलग्न पत्र जो डॉ० के०एन० ठाकुर द्वारा प्राप्त हुआ है के आलोक में दिशा निर्देश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

मो0 फरीद उद्दीन 11.07
प्राचार्य
(मो0 फरीद उद्दीन)
एन० बी० जे० महिला महाविद्यालय
आर० के० नगर उदाकिशुनगंज
(मधेपुरा)

एन0बी0जे0महिला महाविद्यालय

आर0के0 नगर ,उदाकिशुनगंज,

मधेपुरा।

ज्ञापांक :– दिनांक:–

प्रतिलिपि :– 1. हीराकान्त मंडल (संयोजक) सह प्राचार्य बी0एन0एम0 भी0 कॉलेज साहुगढ़ मधपुरा / एन0बी0जे0 महाविद्यालय आर0के0 नगर उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।/ 2. डॉ0 के0 एन0 ठाकुर सेवानिवृत प्रोफेसर टी0पी0 कॉलेज ,मधेपुरा वार्ड नं0 4 साउथ ऑफ पेट्रोल पम्प कॉलेज कौक मधेपुरा

मो0 फरीद उद्दीन 11-07-2015
प्राचार्य
एन० बी० जे० महिला महाविद्यालय
आर० के० नगर उदाकिशुनगंज
(मधेपुरा)

Annexure-5
28

पत्रांक : BSEB(SS)/Coll-Estab/7626/D-15

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना

प्रेषक,

श्रीनिवास चन्द्र तिवारी
सचिव

सेवा में,

प्रो0(डा0) कृष्णदेव नारायण ठाकुर
सेवानिवृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र
टी0 पी0 कॉलेज, मधेपुरा ।
स्थायी पता – वार्ड सं0–04, कॉलेज चौक, मधेपुरा ।

पटना, दिनांक : 03/7/2015

विषय : तदर्थ समिति गठित कर साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि प्रासंगिक **नाराण वीणा झलाड़ी महिला महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा** में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति सं0–50/2013 एवं 55/2013 के आलोक में संशोधित विनियमावली–2013 के विनियम–17 (ख) में निहित प्रावधान के तहत तदर्थ प्रबंध समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है । जिसमें समिति की ओर से आपको संयोजक के रूप में नामित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि संशोधित विनियम–2013 के अध्याय–V(क) के विनियम–17(ख) के आलोक में तदर्थ प्रबंध समिति का गठन कर साक्ष्यों के साथ समिति कार्यालय में यथा शीघ्र प्राप्त करायी जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके ।

विश्वासभाजन

सचिव

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, नाराण वीणा झलाड़ी महिला महाविद्यालय, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को इस निदेश के साथ सूचनार्थ कि समिति पत्रांक– BSEB(SS)/Coll-Estab/7144/D-15 दिनांक 17.01.2015 को निरस्त किया जाता है साथ ही तदर्थ प्रबंध समिति के गठन हेतु सभी अभिलेखों के साथ आप अविलंब समिति द्वारा नामित नवनियुक्त संयोजक से संपर्क करेंगे ।
2. प्राचार्य/प्राचार्या – बी0 एन0 एम0 भी0 कॉलेज, साहुगढ़, मधेपुरा को इस निदेश के साथ सूचनार्थ कि समिति पत्रांक– BSEB(SS)/Coll-Estab/7144/D-15 दिनांक 17.01.2015 के द्वारा निर्गत पत्र को निरस्त किया जाता है साथ ही आपको संयोजक के पद से मुक्त किया जाता है ।

30-6-15

सचिव 3/7